शैक्षिक सत्र 2018–19 के लिये बी0टेक0 प्रथम वर्ष पाठ्कम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर, कॉलेज ऑफ बेसिक सांईस एण्ड हयूमटीज, पंतनगर तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों एवं प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेजों में शैक्षिक सत्र 2018–19 के लिये बी0टेक0 पाठ्यकम में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने वाने समस्त अर्ह अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे काउंसिलिंग में भाग लेने से पूर्व एवं अपने पाठ्यकम/कॉलेज का विकल्प (choice) भरने से पूर्व निम्नलिखित प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों को भली भांति पढ लेः–

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीट मैट्रिक्स के आधार पर ज्यादा से ज्यादा choice भरें। राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों यथा–कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर, जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौडी, विपिन चन्द्र त्रिपाटी कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज, टी0एच0डी0सी0 (आई0एच0ई0टी0) इंजीनियरिंग कॉलेज, टिहरी, गढ़वाल, नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ, प्रौद्योगिक संस्थान, डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक संस्थान, टनकपुर, प्रोधोगिकी संस्थान, गोपेश्वर, तथा महिला इंजीनियरिंग संस्थान, देहरादून में प्रवेश हेतु आल इण्डिया कोटा 15 प्रतिशत व राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 85 प्रतिशत निर्धारित है।
2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आल इण्डिया कोटा 35 प्रतिशत तथा राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 50 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा निर्धारित है। आनलाईन कांउसलिंग के माध्यम से केवल ऑल इण्डिया एवं राज्य की सीटें आंवटित की जायेगी ।
3. ऐसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र नही है और जिन्होने उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अभ्यर्थी ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आयेगें। या वो उत्तराखण्ड की सामान्य श्रेणी में सीट लें सकते हैं ।

4. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अर्न्तगत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), दिव्यांग (PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित(FF), सैनिकों के आश्रितों (AF), महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW), का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

5. ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई/मूल निवास पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे– दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा।

6. ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई/ मूल निवास प्रमाण–पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गत महिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी/मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (OP) का चयन करें।

7- आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है किन्तु सक्षमस्तर से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

8. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग (PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF)सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर सेनिर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

9. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र विगत तीन वर्ष के अन्दर बना होना चाहिए। साथ ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है । साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा की वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नही आते है। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेश संख्या: 348/XXXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या: 647/XLI-1/12-26/10, दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक आय 4.50 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र अथवाबी0पी0एल0 कार्ड होना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से किसी भी कॉलेज (निजी एवंसरकारी) द्वारा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला शिक्षण शुल्क (Tution Fee) नही लिया जायेगा।

11. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2000/– का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से ही किया जा सकता है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवसों में अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/भुगतान हेतु अन्तिम दिवस का इन्तजार न करे। यदि रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवस में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से भुगतान/रजिस्ट्रेशन नही हो पाता है तो इसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होंगे।